

जारी/श० महा०
२७/०१/२२

प्रेषक,

डा० राजीव श्रीवास्तव,
उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ०प्र०/
जनसूचना अधिकारी मुख्यालय,
८०७, जवाहर भवन, लखनऊ।

सेवा में,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

मद्यनिषेध विभाग

लखनऊ

दिनांक : २७ जनवरी, २०२२

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम-२००५ के तहत सूचना दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक ३१.१२.२०२१ के सम्बन्ध में बिन्दुवार निम्नवत अवगत कराना है :-

- १ - आपके उपरोक्त पत्र के बिन्दु-१ के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि चयन वर्ष २०१७-१८ में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति की गयी है।
- २ - आपके उपरोक्त पत्र के बिन्दु-२ के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि चयन वर्ष २०१७-१८ में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु ०५ वर्ष की पूर्ण होने की तिथि ०१.०७.२०१७ है।
- ३ - आपके उपरोक्त पत्र के बिन्दु-३ के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विभागीय सेवानियमावली, १९९९ एवं लिपिक वर्गीय सेवानियमावली, २०१४ में उल्लिखित नियमों के तहत प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु ०५ वर्ष की सेवा दिनांक २७.०१.२०१८ को पूर्ण नहीं थी।
- ४ - आपके उपरोक्त पत्र के बिन्दु-४ के सम्बन्ध में आपके पत्र दिनांक ०९.११.२०२१ के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा शासन को प्रेषित आख्या संबंधी पत्र संख्या ३८०७ पी०पी०/२६-८८/९३ दिनांक २२.१२.२०२१ एवं उक्त पत्र के साथ संलग्न (यथा अपेक्षित) पत्र संख्या ५२३ पी०पी०/२६-८८/९८ दिनांक २०.०२.२०१५, कार्मिक अनुभाग-१ के पत्र संख्या १३/२०१७-१३(६)/२०१७/का-१-२०१७ दिनांक १८.१०.२०१७, पत्र संख्या २७०४ पी०पी०/२६-२३/२००८ दिनांक २७.१०.२०१७ तथा कार्मिक अनुभाग-१ के पत्र संख्या १/२०१८-१३(६)/२०१७/का-१-२०१८ दिनांक ०९.०१.२०१८ की छायाप्रतियां (संलग्नक-१ से १०) संलग्न है।
- ५ - आपके उपरोक्त पत्र के बिन्दु-५ के सम्बन्ध में आपके पत्र दिनांक ०९.११.२०२१ के सम्बन्ध में टिप्पणी की छायाप्रति (संलग्नक-११ व १२) संलग्न है।

6 - आपके उपरोक्त पत्र के बिन्दु-6 के सम्बन्ध में आपके पत्र दिनांक 11.01.2021 एवं 17.02.2021 पर कार्यालय द्वारा की गयी टिप्पणी की छायाप्रतियां (संलग्नक-13 व 14) संलग्न है।

7 - आपके उपरोक्त पत्र का बिन्दु-7 स्पष्ट नहीं है, अतः यह स्पष्ट रूप से अवगत कराये कि किन कर्मियों (नाम से) तथा किस शासनादेश (शासनादेश संख्या व तिथि सहित) के तहत कृत वेतन निर्धारण की सूचना आप द्वारा चाही गयी है, ताकि उनकी सहमति की स्थिति में आपको सूचना दी जा सके।


8 - आपके उपरोक्त पत्र के बिन्दु-8 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विभाग के परिप्रेक्ष्य में समाज कल्याण अनुभाग-1 के निर्गत पत्र संख्या : 299/26-1-2013-सक-1 दिनांक 16.05.2013 एवं लिपिक संवर्गीय नियमावली, 2014 में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम सेवा अवधि उल्लिखित है।

यदि आप उपर्युक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप संबंधित अधिनियम की धारा-19 (1) के अधीन इस पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं, जिनका पता निम्नवत है :-

श्रीमती सरोज कुमारी, राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0/प्रथम अपीलीय अधिकारी
808, जवाहर भवन, लखनऊ। दूरभाष संख्या : 0522-2286664


संलग्नक : यथोक्त


भवदीय



(डा0 राजीव श्रीवास्तव)

उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0/
जनसूचना अधिकारी मुख्यालय


29/01/2022


29/1/22

प्रेषक,

डा0 राजीव श्रीवास्तव,
उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0/
जनसूचना अधिकारी मुख्यालय,
807, जवाहर भवन, लखनऊ।

सेवा में,

[REDACTED]

मद्यनिषेध विभाग

लखनऊ दिनांक : 04 अक्टूबर, 2021

विषय : जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्रतियां उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

आपके पत्र दिनांक 29.09.2021 के क्रम में वांछित सूचना की छायाप्रतियां (कुल 10 पृष्ठ) संलग्न कर प्रेषित हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय

[REDACTED]

(डा0 राजीव श्रीवास्तव)

उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0/
जनसूचना अधिकारी मुख्यालय

प्रसंग 6

प्रेषक,

डा0 राजीव श्रीवास्तव,
उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0/
जनसूचना अधिकारी मुख्यालय,
807, जवाहर भवन, लखनऊ।

सेवा में,

श्री [REDACTED]
पुत्र [REDACTED]
म0नं0 [REDACTED]
[REDACTED]

मद्यनिषेध विभाग

लखनऊ

दिनांक : 22 नवम्बर, 2021

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

आपके पत्र दिनांक 02.11.2021 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपेक्षित सूचना बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित है-

1- आपके उपरोक्त पत्र के बिन्दु-1 के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन, प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या : 544/43-2-2015- सू0आ0नि0 2015(1)-2015 दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 के बिन्दु-4 (2)(ख)(दो)(चार) में दी गयी व्यवस्था के तहत सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

2- आपके उपरोक्त पत्र के बिन्दु-2 के संबंध में पत्र संख्या : 1306 पी0पी0/26-41/2007 दिनांक 30 मई, 2007 की प्रति संलग्न है।

3- आपके उपरोक्त पत्र के बिन्दु-3 के संबंध में जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल), इलाहाबाद के पत्रांक : 1091/डी0जी0सी0(सिविल)/07-08 दिनांक 14.06.2007 की प्रति संलग्न है।

यदि आपको इस विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपत्ति है तो आप अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन तीस दिन के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं जिनका पता निम्नवत् है-

श्रीमती सरोज कुमारी, राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0, /प्रथम अपीलीय अधिकारी
808, जवाहर भवन, लखनऊ। दूरभाष संख्या : 0522-2286664

भवदीय

22/11/21
(डा0 राजीव श्रीवास्तव)
उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0/
जनसूचना अधिकारी मुख्यालय
मद्यनिषेध विभाग, उ0प्र0

22/11/21